12.01.2017

है ।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। आरोपी सुखराम अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी सुखराम की उपस्थिति हेतु नियत

आरोपी को जारी गिरफतारी वारंट तामील/अदम तामली प्राप्त नहीं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है कि आरोपी सुखराम कई पेशियों से प्रकरण में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित नहीं हुआ और न ही अनुपस्थिति का उचित कारण दर्शाने हेतु कोई सूचना प्रेषित की है। प्रकरण विगत कई अवसरों से आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत चला आ रहा है। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना संभावित रूप से प्रकट नहीं। फलस्वरूप आरोपी सुखराम के विरूद्ध धारा 299 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर उसे फरार घोषित किया जाता है तथा इस संबंध में स्थायी वारंट जारी किया जावे तथा संबंधित अधिकारी से स्थायी वारंट प्रदान करने पश्चात प्राप्ति अभिस्वीकृति ली जावे।

अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित कर विहित अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

> साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर